उम्मेर

बनाम

पोतेंगल सुबिदा और अन्य

8 मार्च, 2018

न्यायमूर्ति आर. के. अग्रवाल और न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 133 [सपठित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 9 का नियम 13 और परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5] – अपील फाइल करने में 554 दिनों का विलंब होना – विलंब की माफी के लिए आवेदन करना – आवेदन में विलंब होने का पर्याप्त कारण का उल्लेख होना – आवेदन नामंजूर होना – यदि कोई अपील नियत समय के भीतर फाइल नहीं की जाती है और अपील फाइल करने में हुए, विलंब का पर्याप्त कारण अभिलेख पर दर्शित कर दिया जाता है तो इन परिस्थितियों में, अपील फाइल करने में हुए विलंब को माफ किया जा सकता है ।

वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी सं. 1, प्रत्यर्थी सं. 6 की पत्नी और इसमें के अपीलार्थी की पुत्रवधु है जबकि प्रत्यर्थी सं. 2 से 5, प्रत्यर्थी सं. 1 और 6 के विवाह से उत्पन्न बच्चे हैं । प्रत्यर्थी सं. 1 (पत्नी/पुत्रवधु) ने अपीलार्थी और प्रत्यर्थी सं. 6 के विरुद्ध स्वर्ण आभूषणों या वैकल्पिक रूप में इसके मूल्य को उद्गृहीत करने के लिए जो उसका प्रत्यर्थी सं. 6 के साथ विवाह में उसके माता-पिता द्वारा अपीलार्थी और प्रत्यर्थी सं. 6 को दिया जाना अभिकथित था, कुटुम्ब न्यायालय, मलपुरम के समक्ष 2011 की मूल याचिका सं. 1011 के अधीन और कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 26 के अधीन भरणपोषण मंजूर करने के लिए भी वाद फाइल किया । इस वाद का कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी सं. 6 के साथ ही प्रतिवादियों में से एक अपीलार्थी द्वारा विरोध किया गया । तथापि, कुटुम्ब न्यायाधीश ने तारीख 16 अक्तूबर, 2014 को अपीलार्थी को एकपक्षीय माना क्योंकि वह उस तारीख को वाद में उपस्थित होने में असफल रहा था । उसके बाद, कुटुम्ब न्यायालय ने उसी दिन अपीलार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय डिक्री पारित कर दी । उसके बाद, अपीलार्थी ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "संहिता" कहा गया है) के आदेश 9, नियम 13 के अधीन एक आवेदन फाइल किया और आवेदन फाइल करने

में विलंब होने की माफी के लिए आवेदन के साथ ही एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने की प्रार्थना की । कुटुम्ब न्यायाधीश ने तारीख 4 मार्च, 2016 के आदेश द्वारा आवेदनों को खारिज कर दिया और विलंब की माफी देने से इनकार कर दिया । जिसके परिणामस्वरूप, संहिता के आदेश 9 के नियम 13 के अधीन फाइल आवेदन को भी इसके गुणागुणों पर चर्चा किए बिना खारिज कर दिया था । अपीलार्थी, तारीख 16 अक्तूबर, 2014 के आदेश से व्यथित महसूस किया और उच्च न्यायालय के समक्ष प्रकीर्ण अपील (सं. 653/2016) फाइल किया । चूंकि, अपील 554 दिनों के विलंब से फाइल की गई थी, इसलिए, अपीलार्थी ने अपील फाइल करने में विलंब होने की माफी देने की प्रार्थना करते हुए, परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के अधीन एक आवेदन भी फाइल किया था । उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा विलंब की माफी के लिए आवेदन के साथ ही अपील को भी खारिज कर दिया । उच्च न्यायालय की राय में, अपीलार्थी, अपील फाइल करने में विलंब होने की माफी के लिए कोई पर्याप्त कारण देने में असफल रहा और अतएव, अपील फाइल करने में 554 दिनों के विलंब होने की माफी की ईप्सा करते हुए फाइल आवेदन कायम रखे जाने योग्य नहीं है । परिणामस्वरूप, अपील, परिसीमा अवधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज कर दिया था जिसके कारण प्रत्यर्थी सं. 1 – ससुर ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष इजाजत के माध्यम से इन अपीलों को फाइल किया । न्यायालय द्वारा अपीलें मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – यह विवादित नहीं है कि अपीलार्थी एक बुढ़ा व्यक्ति है और वह 60 वर्ष की आयु का है । यह भी विवादित नहीं है कि वह सुसंगत अवधि के दौरान हृदय रोग ग्रसित रहा है और उसके बाद वह डेंगू बुखार से ग्रसित रहा है । यह भी विवादित नहीं है कि वह उस अवधि के दौरान लंबे समय से इन दोनों बीमारियों का चिकित्सीय उपचार कराने के लिए अस्पताल में भर्ती था । यह भी विवादित नहीं है कि वह अपने कुटुम्ब में जारी विवादों के कारण मानसिक तौर पर विचलित रहा है और वह अपनी बुढ़ी आयु और लंबी बीमारियों के कारण अपने दिन-प्रतिदिन के कर्तव्यों को करने में समर्थ नहीं था । यह एक स्वीकृत तथ्य है कि उच्च न्यायालय ने इन तथ्यों की सत्यता के बारे में विवादित नहीं किया है और न ही अपीलार्थी द्वारा अपने अभिवाचित कारणों के समर्थन में फाइल दस्तावेजों की सत्यता को विवादित किया है । दूसरी ओर, उच्च न्यायालय ने तथ्य के रूप में यह निष्कर्ष निकाला है कि अपीलार्थी इन बीमारियों से ग्रसित रहा है । न्यायालय की राय में, पूर्वोक्त उल्लिखित और अविवादित तथ्यों के प्रकाश में, उच्च न्यायालय को मामले में उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए

था और अपीलार्थी द्वारा दर्शित कारण को परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के अर्थान्तर्गत "पर्याप्त कारण" के रूप में अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए था और तद्नुसार, अपील फाइल करने में हुए विलंब को माफ कर देना चाहिए था । न्यायालय, अब इस न्यायालय के पूर्ववर्ती मत में विधिक प्रतिपादना को विवादित नहीं कर सकते हैं कि अपीलार्थी द्वारा अपील फाइल करने की तारीख तक प्रत्येक दिन के विलंब को स्पष्टीकृत किया जाना अपेक्षित था जिसे इस न्यायालय के पश्चात्वर्ती विनिश्चयों में माफ किया गया है और इसलिए, अब इसे अच्छा विधि अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है । न्यायालय की सुविचारित राय में, मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों तथा अपीलार्थी द्वारा दर्शित कारणों जिन्हें दस्तावेजों द्वारा सम्यक् रूप से साबित कर दिया गया है, को ध्यान में रखते हुए, हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल करने में विलंब माफी के लिए अपीलार्थी द्वारा दर्शित कारण, परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के अर्थान्तर्गत पर्याप्त कारण था/है और इसलिए, अपीलार्थी द्वारा अपील फाइल करने में 554 दिनों की विलंब की माफी के लिए फाइल आवेदन मंजूर किए जाने योग्य है । (पैरा 15, 16, 17, 18 और 19)

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2018 की सिविल अपील सं. 2599-2600.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 133 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से — सर्वश्री दीपक प्रकाश, बिनिश के., सुभाष चौधरी, (सुश्री) अतिरा जी. नायर, रनवी दहिया, नचिकेता वाजपेयी, (सुश्री) श्रीदेवी और पी. वी. दिनेश अधिवक्तागण

प्रत्यर्थियों की ओर से — सर्वश्री श्रीराम पी. और विष्णु शंकर अधिवक्तागण

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने दिया ।

न्या. सप्रे – इजाजत दी गई ।

2. ये अपीलें, केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम द्वारा 2016 की वैवाहिक अपील सं. 653 और 2016 की वैवाहिक अपील सं. 653 में 2016 की सिविल प्रर्कीण आवेदन सं. 1986 में पारित तारीख 16 नवम्बर,

2016 के अंतिम निर्णय और आदेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने विलंब माफी के लिए आवेदन के साथ ही इसमें के अपीलार्थी द्वारा फाइल वैवाहिक अपील को खारिज कर दिया था और कुटुम्ब न्यायालय, मलपुरम द्वारा 2011 की मूल याचिक सं. 1011 में पारित तारीख 16 अक्तूबर, 2014 के आदेश की पुष्टि कर दी थी ।

3. मामले के तथ्य संक्षिप्त हैं और इन अपीलों में विवेचन करने के लिए संक्षिप्त मुद्दा अंतर्वलित है, तथापि, तथ्यों का उल्लेख इसमें नीचे करना आवश्यक है ।

4. प्रत्यर्थी सं. 1, प्रत्यर्थी सं. 6 की पत्नी और इसमें के अपीलार्थी की पुत्रवधु है जबकि प्रत्यर्थी सं. 2 से 5, प्रत्यर्थी सं. 1 और 6 के विवाह से उत्पन्न बच्चे हैं ।

5. प्रत्यर्थी सं. 1 (पत्नी/पुत्रवधु) ने अपीलार्थी और प्रत्यर्थी सं. 6 के विरुद्ध स्वर्ण आभूषणों या वैकल्पिक रूप में इसके मूल्य को उद्गृहीत करने के लिए जो उसका प्रत्यर्थी सं. 6 के साथ विवाह में उसके माता-पिता द्वारा अपीलार्थी और प्रत्यर्थी सं. 6 को दिया जाना अभिकथित था, कुटुम्ब न्यायालय, मलपुरम के समक्ष 2011 की मूल याचिका सं. 1011 के अधीन और कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 26 के अधीन भरण-पोषण मंजूर करने के लिए भी वाद फाइल किया ।

6. इस वाद का कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी सं. 6 के साथ ही प्रतिवादियों में से एक अपीलार्थी द्वारा विरोध किया गया । तथापि, कुटुम्ब न्यायाधीश ने तारीख 16 अक्तूबर, 2014 को अपीलार्थी को एकपक्षीय माना क्योंकि वह उस तारीख को वाद में उपस्थित होने में असफल रहा था । उसके बाद, कुटुम्ब न्यायालय ने उसी दिन अपीलार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय डिक्री पारित कर दी ।

7. उसके बाद, अपीलार्थी ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "संहिता" कहा गया है) के आदेश 9 के नियम 13 के अधीन एक आवेदन फाइल किया और आवेदन फाइल करने में विलंब होने की माफी के लिए आवेदन के साथ ही एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने की प्रार्थना की ।

8. कुटुम्ब न्यायाधीश ने तारीख 4 मार्च, 2016 के आदेश द्वारा आवेदनों को खारिज कर दिया और विलंब की माफी देने से इनकार कर दिया । जिसके परिणामस्वरूप, संहिता के आदेश 9 के नियम 13 के अधीन

फाइल आवेदन को भी इसके गुणागुणों पर चर्चा किए बिना खारिज कर दिया था ।

9. अपीलार्थी, तारीख 16 अक्तूबर, 2014 के आदेश से व्यथित महसूस किया और उच्च न्यायालय के समक्ष प्रकीर्ण अपील (सं. 653/2016) फाइल किया । चूंकि, अपील 554 दिनों के विलंब से फाइल की गई थी, इसलिए, अपीलार्थी ने अपील फाइल करने में विलंब होने की माफी देने की प्रार्थना करते हुए, परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के अधीन एक आवेदन भी फाइल किया था ।

10. उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा विलंब की माफी के लिए आवेदन के साथ ही अपील को भी खारिज कर दिया । उच्च न्यायालय की राय में, अपीलार्थी, अपील फाइल करने में विलंब होने की माफी के लिए कोई पर्याप्त कारण देने में असफल रहा और अतएव, अपील फाइल करने में 554 दिनों के विलंब होने की माफी की ईप्सा करते हुए फाइल आवेदन कायम रखे जाने योग्य नहीं है । परिणामस्वरूप, अपील, परिसीमा अवधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज कर दिया था जिसके कारण प्रत्यर्थी सं. 1 – ससुर ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष इजाजत के माध्यम से इन अपीलों को फाइल किया ।

11. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुना ।

12. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुनने और मामले के अभिलेखों का परिशीलन करने के पश्चात् हम अपीलों को मंजूर करते हैं और उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में विलंब माफी के आक्षेपित आदेश को अपास्त करते हैं और अपीलार्थी द्वारा फाइल अपील को मामले के गुणागुणों पर विनिश्चय करने के लिए उच्च न्यायालय के पास वापस भेजते हैं ।

13. हमने, अपील फाइल करने में विलंब की माफी की ईप्सा करते हुए, उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा फाइल आवेदन की अंतर्वस्तुओं और शपथपत्र का परिशीलन किया है ।

14. इसमें के अपीलार्थी द्वारा अभिवाचित कारण, प्रश्नगत अवधि के दौरान उसकी लंबी बीमारी से संबंधित है । अपीलार्थी ने सुसंगत अवधि के दौरान अपनी बीमारी के तथ्य के समर्थन में चिकित्सीय दस्तावेजों को भी फाइल किया है ।

15. यह विवादित नहीं है कि अपीलार्थी एक बुढ़ा व्यक्ति है और वह 60 वर्ष की आयु का है । यह भी विवादित नहीं है कि वह सुसंगत अवधि

के दौरान हृदय रोग ग्रसित रहा है और उसके बाद वह डेंगू बुखार से ग्रसित रहा है । यह भी विवादित नहीं है कि वह उस अवधि के दौरान लंबे समय से इन दोनों बीमारियों का चिकित्सीय उपचार कराने के लिए अस्पताल में भर्ती था । यह भी विवादित नहीं है कि वह अपने कुटुम्ब में जारी विवादों के कारण मानसिक तौर पर विचलित रहा है और वह अपनी बुढ़ी आयु और लंबी बीमारियों के कारण अपने दिन-प्रतिदिन के कर्तव्यों को करने में समर्थ नहीं था ।

16. यह एक स्वीकृत तथ्य है कि उच्च न्यायालय ने इन तथ्यों की सत्यता के बारे में विवादित नहीं किया है और न ही अपीलार्थी द्वारा अपने अभिवाचित कारणों के समर्थन में फाइल दस्तावेजों की सत्यता को विवादित किया है । दूसरी ओर, उच्च न्यायालय ने तथ्य के रूप में यह निष्कर्ष निकाला है कि अपीलार्थी इन बीमारियों से ग्रसित रहा है ।

17. हमारी राय में, पूर्वोक्त उल्लिखित और अविवादित तथ्यों के प्रकाश में, उच्च न्यायालय को मामले में उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था और अपीलार्थी द्वारा दर्शित कारण को परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के अर्थान्तर्गत "पर्याप्त कारण" के रूप में अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए था और तद्नुसार, अपील फाइल करने में हुए विलंब को माफ कर देना चाहिए था ।

18. हम, अब इस न्यायालय के पूर्ववर्ती मत में विधिक प्रतिपादना को विवादित नहीं कर सकते हैं कि अपीलार्थी द्वारा अपील फाइल करने की तारीख तक प्रत्येक दिन के विलंब को स्पष्टीकृत किया जाना अपेक्षित था जिसे इस न्यायालय के पश्चात्वर्ती विनिश्चयों में माफ किया गया है और इसलिए, अब इसे अच्छा विधि अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है ।

19. हमारी सुविचारित राय में, मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों तथा अपीलार्थी द्वारा दर्शित कारणों जिन्हें दस्तावेजों द्वारा सम्यक् रूप से साबित कर दिया गया है, को ध्यान में रखते हुए, हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल करने में विलंब माफी के लिए अपीलार्थी द्वारा दर्शित कारण, परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के अर्थान्तर्गत पर्याप्त कारण था/है और इसलिए, अपीलार्थी द्वारा अपील फाइल करने में 554 दिनों की विलंब की माफी के लिए फाइल आवेदन मंजूर किए जाने योग्य है । तद्नुसार, इसे माफ किया जाता है किन्तु यह इस शर्त के अध्यधीन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी सं. 1 को 10,000/- रुपए के खर्चे का संदाय किया जाएगा ।

20. पूर्ववर्ती चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अपीलें सफल होती हैं और तद्नुसार, मंजूर की जाती हैं । आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाते हैं । अपील (प्रकीर्ण अपील सं. 653/2016) को परिसीमा अवधि के भीतर फाइल किया जाना अभिनिर्धारित किया जाता है, तद्नुसार, इसकी मूल संख्या बहाल की जाती है । अब, उच्च न्यायालय, विधि के अनुसरण में, तत्परतापूर्वक गुणागुणों पर अपील का विनिश्चय करेगा ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

क.

[2018] 4 उम. नि. प. 19

दिनेश सिंह ठाकुर

बनाम

सोनल ठाकुर

17 अप्रैल, 2018

न्यायमूर्ति आर. के. अग्रवाल और न्याययूर्ति (श्रीमती) आर. बानूमति

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 133 [सपठित हिन्दू विवाद अधिनियम, 1955 की धारा 13 और 26 तथा विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 41] – अपील – पति-पत्नी के बीच हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार, भारत में विवाह संपन्न होना – विवाह के पश्चात्, पति-पत्नी द्वारा विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेना – पति-पत्नी के बीच विवाद होना – पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध असुधार्य विवाह-भंग के आधार पर फ्लोरिडा, यूएसए के न्यायालय में, विवाह-विच्छेद और भरणपोषण के लिए रिट फाइल करना – पति द्वारा गुड़गांव, भारत के कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष उपर्युक्त याचिका में कार्यवाहियों को अवरुद्ध करने के लिए वाद फाइल करना – वाद खारिज होना – वाद खारिज होने से न्याय का उद्देश्य विफल नहीं होना और अन्याय का शाश्वत् जारी नहीं रहना – यदि पति-पत्नी के बीच हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार, भारत में विधिमान्य विवाह संपन्न होता है और तत्पश्चात्, पति और पत्नी विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं और उनके बीच वैवाहिक विवाद उद्भूत होता है तो ऐसे विवाद को ग्रहण करने की अधिकारिता भारतीय न्यायालय के साथ ही